न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
70/2024

दायर दिनांक
04.03.2024

निर्णय दिनांक
16.04.2024

उनवान

1. जगन्नाथ पिता गणेश गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी—नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. ओम पिता गणेश गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. पेमा पुत्र गणेश गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. बंशी पुत्र गणेश गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. जमना पुत्र जोधा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. नाराण पुत्र जोधा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. रूकमण पत्नि जोधा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. लादु पुत्र जोधा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी—नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.
9. लादी पुत्री जोधा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी—नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. श्यामलाल पुत्र जोधा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी—नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. सोहन पुत्र जोधा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी—नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. अणछी बाई पत्नि भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. काली पुत्री भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.
14. किशन लाल पुत्र भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी—नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. गजानन्द पुत्र श्री भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
16. चांदी पुत्री भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
17. नारायण पुत्र भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
18. मुन्ना पुत्री भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

19. रतन पुत्र श्री भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

20. राधा पुत्री भैरू गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा, (राज.)

21. उंकार पुत्र खेमा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.

22. उदयराम पुत्र खेमा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

23. केशी पत्नि खेमा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

24. टमु पुत्री खेमा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

25. भैरू पुत्र श्री खेमा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

26. शांति पुत्री खेमा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

27. काना पुत्र मोहन गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

28. बालु पुत्र मोहन गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

29. भैरू पुत्र मोहन गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

30. डालू पुत्र हरलाल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

31. बद्री लाल पुत्र हरलाल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

32. सुन्दर बाई पत्नि शंकर लाल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

33. मुकेश पुत्र भंवर गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.

34. नारायण पुत्र भंवर गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

35. भुवाना पुत्र प्यारा गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

36. नारायण लाल पुत्र सुरजमल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला 'भीलवाड़ा (राज.)

37. डालु पुत्र हरलाल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

38. टमु देवी पुत्री हरलाल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

1. लादू सिंह पिता भोम सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. देबीसिंह पिता भोम सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नारायण सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मिठु सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. देवी सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. फतेह सिंह पुत्र जोरावर सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
7. मांगु पुत्र देवा जाट, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.
8. बालु पुत्र देवा जाट, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.
9. मोती पुत्र देवा जाट, उम्र वयस्क, निवासी नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. भैरू पुत्र कुका गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. रामचन्द पुत्र चुना गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. धुकल पुत्र सुरजमल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी–नौगांवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण दिनेश कुमार जोशी
अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नौगांवां प0ह0 भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 103 की अभिलिखित आराजियात 101, 109 कुल किता 02 कुल रकबा 0.8472 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा नौगांवां प0ह0 भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 103 की अभिलिखित आराजियात 101, 109 कुल किता 02 कुल रकबा 0.8472 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा क़िसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्राथीगणगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा